Dy 186/ 1 121
Comfn

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांक 4116 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–58 / 2008 दिनांक 18/05/2021

"कार्यालय ज्ञाप"

जय मां वैष्णों कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, 769, सी0पी0. मिशन कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, झांसी का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय पत्रांक–942एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–58 / 08, दि0–09.02.2009 द्वारा दिनॉक–30.06.2011 एवं पुनः पंजीकरण 8891एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–54 / 08, दि0–31.07.2020 द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक के लिए किया गया है। जिसमें कम्पनी में 02 निदेशक 1. श्री राजेश कुमार अग्रवाल, 2. कृष्णा कुमार सिंघल है।

आप द्वारा जनपद महोबा में एम0एच0–78 गुगौरा चौकी से ग्राम डहरां तक समपर्क मार्ग जो कि जिलाधिकारी महोबा के कार्यालय के आदेश संख्या–4062 / एम0एम0सी0–30 / डी0एम0एफ0 / 20–21 दिनांक 01.05.2020 द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि के अन्तर्गत 2.65 किमी0 लम्बाई एवं 7.00 मीटर चौड़ाई में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य आपके पक्ष में अनुबन्ध सं0 118 / एस0ईद्ध–बा0वृ0 / 20–21 दिनांक 02.11.2020 द्वारा लागत रू0 5,03,19,395.00 मात्र गठित कर कराया जा रहा है। मार्ग के निर्माण में मिटटी का कार्य 10.00 से0मी0 मोटाई में जी0एस0बी0 का कार्य 15.00 से0मी0 मोटाई में डी0एल0सी0 का कार्य एवं 28.00 से0मी0 मोटाई में पी0क्यू0सी0 का कार्य का प्राविधन है। इस मार्ग कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि अनुबन्ध शर्तों का पालन न करते हुए निम्न कमियां पाई गई।

1. डी0एल0सी0 के कार्य में जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही थी , उसमें सीमेन्ट की मात्रा मानक के अनुसार अत्यन्त कम थी। डी0एल0सी0 का कार्य, डी0एल0सी0 का कार्य न होकर जी0एस0बी0 / डब्लू0एम0एम0 का कार्य कराया जा रहा था, जिसके कारण भविष्य में सी0सी0 मार्ग क्षतिग्रस्त होगा। एवं विभाग की छवि खराब होगी।
2. डी0एल0सी0 एवं पी0क्यू0सी0 के कार्य को अनुबन्ध के अनुसार संसर पेवर से बिछाकर करने का प्राविधान है, परन्तु आप द्वारा इस कार्य को मैनुअली किया जा रहा था। अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया कि उक्त कार्य आप द्वारा न करते हुए किसी अन्य ठेकेदार जो विभाग में पंजीकृत नहीं है, को कार्य दिया गया है।
3. सी0सी0 निर्माण में क्यूब की टेस्टिंग हेतु प्रयोगशाला के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होने अवगत कराया कि ठेकेदार द्वारा कोई प्रयोगशाल स्थापित नहींकिया गया है और न ही ठेकेदार का कोई तकनीकी कर्मचारी मार्ग निर्माण पर कार्यरत है, सभी टेस्ट खण्ड के लैब में ही किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपकी कार्य प्रणाली अत्यन्त दूषित है एवं विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों के अनुपालन न करने की पूर्ण मंशा है, जो अनुबन्ध की शर्तों की अवेहलना है।

उक्त के सम्बन्ध में चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र., लो0नि0वि0 बांदा के पत्र दिनांक 26.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस का आलेख उपलब्ध कराते हुये काली सूची में डाले जाने की प्रबल संस्तुति की गई थी, तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 4021एम0टी0 / सा0वर्ग / 54एम0–58 / 08 दिनांक 2.9.04.21 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उत्तर 15 दिनों में उत्तर उपलब्ध कराने हेतु आपको प्रेषित किया गया था। किन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरान्त भी आप द्वारा अभी तक कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे विदित होता है कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। इससे यह सिद्ध होता है कि विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों के अनुपालन न करने की पूर्ण मंशा है।

अतः मुख्य अभियन्ता चित्रकूट धाम (बांदा), लो0नि0वि0 बांदा द्वारा की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त शासनादेश सं0–2365 एम0एस0 / 23–पी0डब्ल्यू0–41एम0एस0 / 1954 दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0 362एम0टी0सी0 / 70एफ0–68 दिनांक–08.10.1982 द्वारा ठेकेदारों के लिये वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली व उपयुक्त पंजीकरण सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127एम0एस0 / 23 सा0नि0 अनु0(7) दिनांक 02.12.1974 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी के उपरोक्त पंजीकरण को निरस्त करते हुये कम्पनी एवं कम्पनी के निदेशकों को 03 वर्ष के लिये "काली सूची" में डाले जाने के आदेश एतत्द्वारा पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प / नियोजन, लो0नि0वि0 उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

18-5-21

(वी0के0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

EE

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता परिकल्प / नियोजन, लो0नि0वि0 उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 एवं मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक राष्ट्रीय मार्ग पीएमजीएसवाई सेतु / वाहय सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर लो0नि0वि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित किवे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता चित्रकूट धाम (बादां) क्षेत्र लो0नि0वि0, बांदा को उनके पत्रांक –953 / 5(कैम्प) (पंजी0) / वा0क्षे0 / 21 दिनांक 26.04.2021 के सन्दर्भ में।
6. निदेशक / मुख्य अभियन्ता मण्डी परिषद गोमती नगर लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता हमीरपुर वृत्त, लो0नि0वि0 हमीरपुर
10. अधिशासी अभियन्ता, कम्पयूटराइजड खण्ड लो0नि0वि0 लखनऊ को उक्त आदेश की विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 महोबा।
12. जय मां वैष्णों कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, 769, सी0पी0. मिशन कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, झांसी (पंजीकृत)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0),
लो0नि0वि0, लखनऊ